प्रकरण संख्या 60 / 19 RCMS ID-2019 / 00231 ता0रजू 30.09.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

1. रामखिलाडी आयु 60 साल } पिसरान मिश्रा जाति माली
2. लोहरेलाल आयु 65 साल } निवासी करौली तहसील करौली – अपीलाण्ट

बनाम

लैण्डहोल्डर तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली (राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय बाबत नामान्तरकरण संख्या 3845 दिनांक 27.02.2012 ग्राम करौली पटवार हल्का नं. 9 तहसील व जिला करौली (राज0)

निर्णय

दिनांक 14.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार, तहसील करौली ने हकत्याग का नामांतरकरण संख्या 3845 निर्णय दिनांक 27.02.2012 बाके करौली कस्बा–9 पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील दिनांक 27.02.2012 रूयेदाद मिसल है। परवर्स रेस्पोण्डेण्ट है के खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी खसरा नं. 5684 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम करौली पटवार हल्का नं. 9 तहसील करौली में स्थित है जो अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट के भाई छोटेलाल पुत्र मिश्रा एवं बहने रामोती पुत्री मिश्रा, दक्खों पुत्री मिश्रा, पूनी पुत्री मिश्रा के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की रही है। अपीलाण्ट एवं अपीलाण्ट्स के भाई–बहिन एक ही मां जाये रक्तोदर भाई–बहिन है और हमारा खून का रिश्ता है और संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य रहे है और मृतक मिश्रा के लीगल वारिस है। उक्त भूमि हमारी पैतृक सम्पत्ति है उक्त भूमि में सभी का समान हिस्सा 1/6, 1/6 था, रामोती, दक्खो व पूनी अपनी ससुराल चली गयी है जिनको वार–त्यौहार पर बुलाना व भात जामने इत्यादि की जिम्मेदारी अपीलाण्ट द्वारा पूर्ण रूप से निभाई जाने व मृतक छोटेलाल को उसकी जई फुल उम्र में सेवा चाकरी करना व उसके खाने–पीने व हारी–बीमारी में दवाई इत्यादि की व्यवस्था करना व सेवा–चाकरी पूरी जिम्मेदारी से करने के कारण उक्त चारों भाई–बहिनों ने अपीलाण्ट्स के हक में अपने–अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 का हक त्याग सब रजिस्ट्रार करौली के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 03.02.2012 को रजिस्टर्ड कराया हक त्याग पत्र दिनांक 03.02.2012 की रूह से जब जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3845 निर्णय दिनांक 27.02.2012 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया तो छोटेलाल पुत्र मिश्रा का हिस्सा 1/6 बदस्तूर रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी कानूनी भूल की है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। छोटेलाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 एवं दक्खो हिस्सा 1/6, पूनी हिस्सा 1/6 व रामोती हिस्सा 1/6 सम्पूर्ण का हक त्याग होने के पश्चात सम्पूर्ण खाता खसरा नम्बर 5684 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कस्बा करौली का अपीलाण्टस के हक में नामांतरकरण संख्या 3845

जिला कलक्टर
करौली

दिनांक 27.02.2012 को हो जाना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हक त्याग पत्र जो स्पष्ट एवं साफ सुथरा होने के बावजूद भी सही नही पढने व समझने से ठीक प्रकार जांच नही कर जल्दबाजी में बिना जांच दस्तावेज व बिना मिलान के बिना सही अंकन के स्वीकार कर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। निर्णय जैर अपील भारी कानूनी भूल होने के कारण निरस्त कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। दस्तावेज हक त्याग दिनांक 03.02.2012 की प्रति संलग्न अपील है। अपीलाण्टस को जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3845 दिनांक 27.02.2012 की जानकारी दिनांक 06. 09.2019 को उस समय हुई जब अपीलाण्ट पटवारी हल्का से अपने खाते की नकल लेने गये तो पटवारी हल्का द्वारा अपना रिकार्ड देखकर बताया तब प्रार्थीगण अपीलाण्ट ने राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु जिला अभिलेखागार करौली प्रार्थना पत्र तत्काल दिनांक 06.09.2019 को प्रस्तुत कर नकल दिनांक 16.09.2019 को प्राप्त होने पर जानकारी मिलने पर व नकल प्राप्त होने से अपील अपीलाण्टस अंदर मियाद पेश है। उक्त निर्णय नामान्तरकरण तहसीलदार करौली का होने से व विवादित भूमि कस्बा करौली में स्थित होने के कारण श्रीमानजी को अपील सुनवाई का हक हासिल है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि हकत्यागकर्ता छोटेलाल पुत्र मिश्रा का नाम नामांतरकरण दर्ज करते समय सहवन से रह गया है जिसका संशोधन करने के लिए अपील को रिमाण्ड किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थीगण के हक में श्री छोटेलाल पुत्र मिश्रा जाति माली निवासी होली खिड़किया करौली, रामोती पुत्री मिश्रा पत्नि स्व. नथुआ जाति माली निवासी होली खिड़किया करौली हाल आबाद नदी भद्रावती करौली एवं दक्खों पुत्री मिश्रा पत्नि रामजीलाल, पूनी पुत्री मिश्रा पत्नि स्व. हरिचरण जातियान माली निवासीयान होली खिड़किया करौली हाल निवासी मेंगरी तहसील व जिला करौली द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में हकत्याग किया गया है जो दिनांक 03.02.2012 को उप पंजीयक करौली के कार्यालय में पंजीबद्ध हुआ है। हकत्याग का नामांतरकरण खोलते वक्त छोटेलाल पुत्र मिश्रा का हिस्सा यथावत् छोड दिया गया है जिसे अपीलार्थी के पक्ष में किया जाना न्यायोचित है। अतः हम अपील अपीलार्थीगण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 3845 दिनांक 27.02.2012 को छोटेलाल पुत्र मिश्रा हिस्सा 1/6 की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार करौली को प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली